राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	162/2016	भंवर लाल झारोटिया	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय, राजस्थान बीकानेर। 3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–I, अजमेर।
2.	163/2016	राकेश पाटनी	

आदेश की दिनांक : 05.11.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री एस.के. सक्सैना, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त दोनों अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा समान प्रकार के अनुतोष की मांग की गई है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण इस समान आदेश के द्वारा किया जा रहा है।
2. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थीगण राकेश पाटनी एवं भंवरलाल झारोटिया को क्रमशः वर्ष 1990–91 एवं 1992–93 के चयन वर्षो के विरूद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी थी। बाद में आलोच्य आदेश दिनांक 06.01.2016 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थीगण की कनिष्ठ लिपिक के पद पर चयन वर्ष 1990–91 एवं 1992–93 में दी गयी पदोन्नति निरस्त की गयी एवं उसके पश्चात आदेश दिनांक 06.01.2016 के द्वारा अपीलार्थीगण को रिव्यू डीपीसी के आधार पर वर्ष 2013–14 के चयन वर्ष में पदोन्नति प्रदान की गयी। इस प्रकार अपीलार्थीगण का चयन वर्ष वर्ष 1990–91 एवं 1992–93 निरस्त कर चयन वर्ष 2013–14 किया गया। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में अपीलार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 6806/1997 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण कर कनिष्ठ लिपिक के पद पर डीपीसी आयोजित करने के निर्देश दिये थे। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में डीपीसी आयोजित की गयी और अपीलार्थी राकेश

पाटनी को वर्ष 1990–91 एवं अपीलार्थी भंवर लाल झारोटिया को वर्ष 1992–93 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि पदोन्नति आदेश पारित होने के पश्चात अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में पुनः रिव्यू डीपीसी आयोजित की जा रही थी, तब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी राकेश पाटनी द्वारा एक अन्य रिट याचिका संख्या 9732/2014 दायर की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 29.09.2014 पारित कर याची को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये और प्रत्यर्थी विभाग को तीन माह में अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का अभ्यावेदन निस्तारित किये जाने से पूर्व ही अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश पारित कर अपीलार्थीगण को पूर्व में दी गयी पदोन्नति निरस्त की गई और पदोन्नति वर्ष परिवर्तित किया गया। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 04.01.2016 को आयोजित रिव्यू डीपीसी नियमानुसार नहीं की गयी है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि रिव्यू डीपीसी दिनांक 04.01.2016 की मिनिट्स की प्रति अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ अपीलार्थी ने प्रस्तुत की है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि सत्र 1990–91 से 2012–13 तक जिन कार्मिकों का चयन किया गया है, वह नियमानुसार एवं पूर्णतः वरिष्ठता अनुसार है। इसीलिए इस अवधि में पदोन्नति कार्मिक प्रभावित नहीं हो रहे हैं। उपरोक्त कथन अंकित करते हुए अपीलार्थीगण को सत्र 2013–14 में पदोन्नति दिये जाने की अनुशंषा की है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है और रिक्तियों के विरूद्ध वर्षवार किन–किन व्यक्तियों को पदोन्नति दी गयी है, इसका विवरण नहीं है। रिव्यू डीपीसी में इस तथ्य का हवाला नहीं आया है कि किन वर्षों में कितनी रिक्तियां थी और उन रिक्तियों के विरूद्ध कौन–कौन कार्मिक पदोन्नत हुये हैं। अपीलार्थीगण को पूर्व में दी गयी नियुक्ति किस प्रकार से निरस्त की गयी। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में उनके वरिष्ठता क्रमांक का भी अंकन नहीं है, जिसके आधार पर अपीलार्थीगण को नवीन वर्ष दिये जाने का स्पष्टीकरण प्राप्त हो सके। इस प्रकार रिव्यू डीपीसी बिना विवेक का प्रयोग किये आयोजित की गयी है, जो उचित नहीं है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण को जिस डीपीसी के तहत पूर्व में पदोन्नति दी गयी है, उसमें छात्रा सेट–अप में वर्षवार कनिष्ठ लिपिकों की रिक्तियों के विरूद्ध डीपीसी आयोजित कर

दी गयी थी, जबकि उसके पूर्व ही छात्रा सेट–अप निरस्त कर छात्र एवं छात्राओं का एक ही सेट–अप निश्चित कर मिश्रित वरिष्ठता दिये जाने का निर्णय वर्ष 1988 में ही लिया जा चुका था। इस प्रकार अपीलार्थीगण को जो पूर्व में पदोन्नति प्रदान की गयी, वह गलत थी। जिसके सम्बन्ध में रिव्यू डीपीसी आयोजित की गयी। अपीलार्थीगण को वरिष्ठता के आधार पर चयन वर्ष 2013–14 में पदोन्नति का पात्र पाये जाने से उन्हें इसी चयन वर्ष 2013–14 में पदोन्नति प्रदान की गयी।

4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. हम पाते हैं कि जो रिव्यू डीपीसी की बैठक दिनांक 04.01.2016 आयोजित की गयी है, वह वर्ष 1990–91 से वर्ष 2013–14 तक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से कनिष्ठ लिपिक के पद पर रिव्यू डीपीसी हेतु आयोजित की गयी थी, जिसमें निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया हैः–

> ''1. आज दिनांक 4–1–2016 को सत्र 90–91 से 2013–14 के गतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/प्र०शा०से०क से कनिष्ठ लिपिक के पद पर रिव्यू पदोन्नति हेत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजित की गयी जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए–
>
> 5. श्री सुशील कुमार गहलोत, जिशिअ, मा–प्रथम, अज संयोजक
> 6. श्री दीपक जौहरी, जिशिअ, मा–द्वितीय, अजमेर मनोनीत सदस्य
> 7. श्री हरि प्रसाद शर्मा, जिशिअ, प्रा०शि०अजमेर मनोनीत सदस्य
> 8. श्री ओम प्रकाश शर्मा, अति०जिशिअ, मा–ा, अजमेर सदस्य सचिव
>
> 2. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज०बीकानेर के पत्र दिनांक 17.2.88 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में छात्र एंव छात्रा सेट–अप में कार्यरत च०श्रे०क०/ प्र०शा०सेवक की संग्रहित वरिष्ठता सूची में अनुसार तत्कालीन समय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) वर्तमान मे जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, अजमेर पदोन्नति के लिये सक्षम अधिकारी होने से मिश्रित वरिष्ठता अनुसार पदोन्नति प्रदान की जानी है।
>
> 3. सत्र 90–91 से 2012–13 तक जिन कार्मिकों का चयन किया गया है वह नियमानुसार एंव पूर्णतः वरिष्ठता अनुसार है इसीलिये इस अवधि में पदोन्नति कार्मिक प्रभावित नहीं हो रहे है।
>
> 4. सत्र 2013–14 में निम्न कार्मिक पुनरावलोकन के आधार पर चयन के पात्र है, को चयन किये जाने की अनुशंषा की जाती है।
>
> 1. 67/84–87 राकेश पाटनी/निहालचन्द, प्र०शा०सेवक
> 2. 183/84–87 भंवर लाल/नारायण प्रसाद, प्र०शा०सेवक
>
> 5. उक्त चयन करने के फलस्वरूप 2013–14 में चयनित वरिष्ठता कमांक 2/88–90 से०नि० होने से 13–14 में रिक्तियां रही है तथा

199/84–87 के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही होने से 31/3/14 तक कार्यवाही विचाराधीन थी जिसके कारण एक पद रिक्त रहा है, इस प्रकार दो पद रिक्त होते है इन पदों के विरूद्ध चयन करने की अनुशंषा की जाती है।

6. वरि०क्रमांक 67/84–87,184–84–87 का चयन 90–91 व 92–94 में रिट याचिका संख्या 6806/97 में पारित निर्णय दिनाक 15.9.06 की पालना करने की अनुमति उपविधि परामर्शी के पत्र दिनांक 10.7.2009 द्वारा दी गयी थी उक्त अनुपालना में किय गये चयन को निरस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है। ''

6. उपरोक्त रिव्यू डीपीसी में स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि वर्ष 1990–91 से 2012–13 तक वर्षवार रिक्तियों के निर्धारण का हवाला नहीं है और रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता में किन–किन व्यक्तियों को पदोन्नति दी गयी है, उसका भी वर्षवार अंकन नहीं है। हम यह भी पाते हैं कि मिश्रित वरिष्ठता के अनुसार अपीलार्थीगण को क्या स्थान प्राप्त हुआ, उसका भी कोई अंकन दिनांक 04.01.2016 की रिव्यू डीपीसी में नहीं आया है एवं मिश्रित वरिष्ठता के अनुसार अपीलार्थीगण को पदोन्नति किस आधार पर वर्ष 2013–14 में दी गयी, इसका भी कोई अंकन नहीं है। हम पाते हैं कि वर्षवार विवरण अंकित नहीं किये जाने के कारण रिव्यू डीपीसी की कार्यवाही को उचित होना नहीं माना जा सकता।

7. परिणामस्वरूप उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि वर्ष 1990–91 से 2013–14 की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर वर्षवार रिक्तियों एवं मिश्रित वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के अनुसार पुनः रिव्यू डीपीसी आयोजित करें। रिव्यू डीपीसी की बैठक के पश्चात अपीलार्थीगण के संबंध में नए सिरे से आदेश पारित किया जावें। इस आदेश की पालना हेतु तीन माह का समय प्रदान किया जाता है। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 03.02.2016 की क्रियान्विति रिव्यू डीपीसी आयोजित किये जाने तक प्रभावी रहेगा।

8. उपरोक्त आदेश के साथ दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

9. मूल आदेश को अपील संख्या 162/2016 में एवं इसकी छायाप्रति अपील संख्या 163/2016 में संलग्न की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)